अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) – 2024

1. प्रस्तावना :–

वर्तमान में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का अध्यापन, प्रायोगिक, खेलकूल, पुस्तकालय एवं अन्य कार्य प्रभावित होते है। अतः तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों की व्यवस्था किये जाने हेतु यह नीति निर्धारित की जाती है।

यह नीति छत्तीसगढ़ राज्य के अंर्तगत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों के लिये वर्ष 2024 के शिक्षा सत्र से लागू होगी तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

2. अतिथि व्याख्याताओं के लिए रिक्त पदों की गणना :–

2.1 स्वीकृत नियमित प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के रिक्त पदो ंके विरूद्ध अतिथि व्याख्याता रख सकते है। अतिथि व्याख्याताओं के लिए पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं हैं।

2.2 प्रत्येक शिक्षा सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित वेतनमान में स्वीकृत प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या उस शिक्षा सत्र के लिए अतिथि व्याख्याताओं के लिए रिक्तियां मानी जायेगी।

2.3 किन्तु सभी रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता की विज्ञप्ति जारी करना अनिवार्य नहीं होगा अपितु वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड के अनुसार निर्धारित वर्कलोड के अनुसार की जाएगी।

3. आवश्यक अर्हता :–

3.1 संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप वांछित है।

3.2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आद र्श महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम भौक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव हो तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर विशय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर सक्षमता एवं दक्षता संबंधी अनु ांसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3.3 आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी अधिकतम 62 वर्ष तक।

3.4 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. विज्ञापन आमंत्रण की प्रक्रिया :–

4.1 अतिथि व्याख्याता की चयन हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा जिसमें 03 से 04 सदस्य शामिल होगें। समिति में विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य/वरिश्ठतम ि ाक्षक अध्यक्ष होगें, एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक सदस्य महिला वर्ग से होंगे। यदि उपरोक्त श्रेणी के सदस्य कार्यरत न हो तो छूट प्राप्त होगी।

4.2 समिति द्वारा रिक्त पदों की गणना कर, विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य पदों हेतु विज्ञापन प्रारूप तैयार किया जायेगा।

4.3 रिक्त पदों हेतु जारी किये जाने वाला विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा जिसमें विषयवार रिक्तियां, अर्हताओं, आवेदन पत्र का प्रारूप, मानदेय की जानकारी का विवरण होगा। विज्ञापन का प्रकाशन राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों, नोटिस बोर्ड, विश्वविद्यालय /महाविद्यालय की वेबसाईट (महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट) में किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जावेगा।

4.4 आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर निराकरण के लिए साफटवेयर/ऐप तैयार किया जायेगा। साफटवेयर/ऐप तैयार होने तक आवेदकगण निर्धारित तिथि अनुसार अपना आवेदन संबंधित कार्यालय में रजिस्टर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर, पावती प्राप्त करेंगें। यदि आवेदन लेने संबंधी किसी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित सभागीय क्षेत्रीय अपर संचालक को निवारण हेतु आवेदन दिया जा सकेगा। जिसका निराकरण सभागीय क्षेत्रीय अपर संचालक द्वारा शिकायत प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर किया जायेगा।

4.5 किसी विशय के अंतर्गत प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर एक साथ अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था किये जाने पर उक्त पदों हेतु पृथक–पृथक आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे।

4.6 प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में पंजीबध्द किया जावेगा। समिति द्वारा आवेदन पत्र एवं प्राप्ति पंजी को सत्यापित किया जावेगा।

4.7 समिति आवेदन पत्रों को प्राप्त कर उसकी समीक्षा कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार करने का कार्य करेगी।

4.8 मेरिट सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाईट में किया जावेगा। प्रकाशन दिनांक से 3 दिन के भीतर दावा–आपत्ति किया जा सकेगा, जिसका निराकरण समिति द्वारा 02 दिवस में किया जायेगा।

4.9 चयनितों की अंतिम सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाईट में किया जायेगा तथा संबंधितों को भी सूचित किया जावेगा।

4.10 इनके लिये अनुभव का लाभ का प्रावधान होगा। अनुभव प्राप्त करने के लिये एक भौक्षणिक सत्र में न्यूनतम 05 माह कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

4.11 यदि अतिथि व्याख्याता की विगत सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या आवेदित महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन एवं अन्य किसी प्रकार की ि ाकायत सही पाये जाने के आधार पर यदि सेवायें समाप्त की गई हो तो उनके आवेदन पर विचार नही किया जावेगा तथा आगामी भौक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु वह पात्र नही होंगा।

5. चयन उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अभिलेखीकरणः–

5.1 चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

5.2 चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवा में नहीं है।

5.3 कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा तथा परीक्षण में अभिलेख सही पाये जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

6. अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति

6.1 शिक्षा सत्र के दौरान किसी विषय के नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की स्थिति में उक्त विषय के अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वमेव समाप्त मानी जायेंगी अपितु ऐसे श्रेणी–1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता विस्थापित श्रेणी में माने जायेंगे।

6.2 उदाहरण तौर पर यदि प्राध्यापक–वाणिज्य एवं सहायक प्राध्यापक–वाणिज्य पद के विरूद्ध अलग अलग अतिथि व्याख्याता कार्यरत हो एवं बाद में प्राध्यापक–वाणिज्य के पद पर नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से पद भरे जाने की स्थिति में प्राध्यापक–वाणिज्य के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं सहायक प्राध्यापक–वाणिज्य के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता कार्यरत रहेंगा।

6.3 यदि प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक के एक ही विषय के विरूद्ध एक से अधिक अतिथि व्याख्याता कार्यरत है एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से एक पद भरे जाने की स्थिति में उस विशय में मेरिट लिस्ट में कनिष्ठ अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

6.4 यदि इनके विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होती है एवं जांच में सही पायी जाती है तो उनको 7 दिवस का कारण बताओं सूचना जारी किया जाये यदि उत्तर समाधान कारक नहीं है तो उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जायेगी।

6.5 इनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो किसी भी समय इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

6.6 चयनित आवेदक यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उनकी चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

6.7 अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा की जावेगी ।

7. **अतिथि व्याख्याताओं के विस्थापन की व्यवस्था :–** किसी संस्थान में नियमित नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत श्रेणी–1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याता को विस्थापित की श्रेणी में माना जायेगा।

7.1 विस्थापित अतिथि व्याख्याता को अपने पूर्व संस्थान से विस्थापन एवं कार्य सतोषजनक पाये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नवीन संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7.2 यदि नियमित नियुक्ति/स्थानांतरण से प्रभावित होने पर कोई भी श्रेणी–1, 2 एवं 3 के विस्थापित अभ्यर्थियों को ही उसी जिले के अन्य संस्थान में एवं उस जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी संभाग के अन्य जिले में एवं संभाग में रिक्त नहीं होने से राज्य के अन्य जिले में बिना विज्ञापन जारी किये उनको उस विषय में लिया जायेगा। यदि विज्ञापन जारी हो गया है तो उस विषय के लिये चयन प्रक्रिया को समाप्त कर विस्थापित अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर अध्यापन कार्य हेतु रखा जावेगा।

7.3 यदि उस अवधि में किसी संस्थान में एक से अधिक विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में निर्धारित मापदंड का पालन करते हुए वरीयता क्रम में प्राथमिकता के आधार पर अतिथि व्याख्याता को अध्यापन कार्य हेतु रखा जावेगा।

7.4 श्रेणी–1, 2 एवं 3 के अतिथि व्याख्याताओं को नियमित पदस्थापना होने तक एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जायेगा एवं उसी संस्थान में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जायेगा।

7.5 श्रेणी–4 के अतिथि व्याख्याताओं हेतु प्रत्येक नवीन सत्र में संबंधित संस्थान द्वारा विज्ञापन जारी किया जावेगा एवं उच्च श्रेणी–1, 2 एवं 3 के आवेदकों की उपलब्धता होने पर ही श्रेणी–4 के स्थान पर रखा जा सकेगा।

8. **मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण :–** अतिथि व्याख्याताओं के आमंत्रण हेतु वरीयता का क्रम/मापदंड निम्नानुसार रहेगा :–

(मेरिट लिस्ट बनाने के लिये अधिकतम 145 मेरिट अंक रहेगें और जिसका मापदंड निम्नानुसार होगा)

8.1 पीएचडी/नेट/सेट/एमफिल के लिये अंक

(क)	पीएच.डी. के लिए	– 25 अंक
(ख)	नेट/सेट के लिए	– 20 अंक
(ग)	एम.फिल. के लिए	– 05 अंक

8.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अंक –

प्राप्तांकों के लिए (अधिकतम)– 50 मेरिट अंक (55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा)

8.3 अनुभव के लिए अंक –

एक शैक्षणिक सत्र में (न्यूनतम 5 माह से कम नही) – 05 मेरिट अंक

शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन – 30 मेरिट अंक अनुभव के लिए (अधिकतम)

8.4 अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांगजन/तृतीय लिंग अभ्यर्थियों के लिए अधिभार –

(क) अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये – 05 अंक

(ख) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये – 05 अंक

(ग) तृतीय लिंग के अभ्यर्थियों के लिये – 05 अंक

8.5 चयन हेतु अर्हता निम्नानुसार रहेगा :–

श्रेणी– 1 संबंधित विषय में पी.एच.डी

श्रेणी– 2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण

श्रेणी– 3 संबंधित विषय में एम.फिल धारक

श्रेणी– 4 यू.जी.सी. के मापदंड अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा ।

स्पश्टीकरण :–

श्रेणी –1 के अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो क्रमशः श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी–4 के अभ्यर्थी के नामो पर विचार किया जावेगा।

8.6 वि ोश टीप :– अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणीयों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर श्रेणी–4 के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता (स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रति ात) से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम के आधार पर विचार कर वर्तमान भौक्षणिक सत्र के लिए अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा किन्तु यह व्यवस्था केवल चालू भौक्षणिक सत्र के लिए प्रभाव ील होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अनुभव के अंक एवं विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को देय लाभ की पात्रता नहीं होगी।

9. मानदेय :– अतिथि व्याख्याताओं को निम्नानुसार मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है :–

क्रमांक	विवरण	श्रेणी–1, 2 एवं 3	श्रेणी–4
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/–	1200/–
3	उपर्युक्त बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	41600/–	31200/–
4	अतिथि ग्रंथपाल	1600/–प्रतिदिन (40000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30000/–प्रतिमाह अधिकतम)
5	अतिथि क्रीड़ा अधिकारी	1600/–प्रतिदिन (40000/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/–प्रतिदिन (30000/–प्रतिमाह अधिकतम)

9.1 प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा।

9.2 अतिथि ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों के लिए प्रतिदिन 7 घंटा कार्य किया जाना अनिवार्य है।

9.3 महाविद्यालयों में केवल भौक्षणिक कालखंड का संचालन ही नही किया जाता अपितु विद्यार्थियों के समन्वित एवं चहुमुखी विकास की दृश्टि से अन्य गतिविधियों का संचालन एवं कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन के अतिरिक्त प्र ाासकीय कार्य एवं भौक्षणेत्तर गतिविधियों यथा प्रवे ा, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी सहयोग लिया जाता है। इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करते हैं।

9.4 अध्यापन संचालित होने एवं अध्यापन समाप्त होने के पश्चात अतिरिक्त कार्य के लिये प्रतिकार्य दिवस एक कालखंड मानकर माह में अधिकतम 15 कालखंडों का भुगतान किया जावेगा।

9.5 अतिरिक्त कार्य का मानदेय श्रेणी–1, 2 एवं 3 अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं के लिए निर्धारित मानदेय के अनुसार प्रति कालखंड 400/– रु एवं माह में 22 कालखंडों का 8800/– रु. देय होगा। इसी प्रकार श्रेणी–4 के लिए निर्धारित मानेदय के अनुसार प्रति कालखंड 300/– रु एवं माह में 22 कालखंडों का 6600/– रु. देय होगा।

9.6 अतिरिक्त मानेदय प्रतिमाह दिये जाने वाले अध्यापन कालखंड के अधिकतम मानदेय के अतिरिक्त देय होगा।

10. अवकाश सुविधाः–

10.1 प्रसूति (मातृत्व) अवका ा अधिकतम 6 माह के लिये दिये जायेंगे। प्रसूति (मातृत्व) अवका ा अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन भुगतान नही किया जावेगा। संस्था प्रमुख द्वारा उक्त अवधि का अवैतनिक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

10.2 यदि कोई अतिथि व्याख्याता के पीएच–डी. हेतु कोर्स वर्क/शोध–ग्रंथ कार्य पूर्ण करने के आवेदन पर अधिकतम 6 माह अवधि का कोर्से वर्क/शोध–ग्रंथ पूर्ण करने हेतु अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

10.3 उक्त अवधि के लिये छात्र–छात्राओं के अध्ययन–अध्यापन के सुचारू संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् अन्य वैकल्पिक व्याख्याताओ की सेवायें इस शर्त पर ली जायेगी कि पूर्व में नियुक्त अतिथि व्याख्याता के प्रसूति/पीएचडी अवकाश उपरान्त वापस कार्यभार ग्रहण करने पर वैकल्पिक रूप नियुक्ति वैकल्पिक व्याख्याता को उनके कार्य से कार्यमुक्त कर दिया जावेगा। वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में मानदेय के अलावा अन्य लाभ जैसे विस्थापित, अनुभव इत्यादि नहीं दिया जावेगा। इस हेतु वैकल्पिक व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के साथ शपथ पत्र देना होगा।

10.4 प्रसूति/पीएचडी अवकाश लेने वाले अतिथि व्याख्याताओं को उस अवधि के अनुभव का लाभ प्रदाय नहीं दिया जावेगा।

11. न्यायालयीन प्रकरण संबंधी :–

11.1 इस नीति के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के व्यवस्था की प्रकिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के भविष्य में जारी होने वाले निर्णयों के अध्ययाधीन होगी।

11.2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्थगन आदेश जारी किये है, उन अतिथि व्याख्याताओं पर ये निर्देश लागू नहीं होगें।

11.3 किसी भी संस्थान में न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालयीन निर्देश का निराकरण आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के मार्गदर्शन में किया जायेगा।

12. अतिथि व्याख्याता हेतु अन्य निर्देश :–

12.1 एक साथ दो संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

12.2 किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं माने जाएँगे।

12.3 सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12.4 सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन–पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की संख्या एवं संस्था प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

12.5 इनके अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड संस्थान में संधारित किये जायेंगे ताकि मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

12.6 संस्था प्रमुख का दायित्व होगा कि अतिथि व्याख्याता के कार्य पर उपस्थिति दिनांक से ही उनकी प्रतिदिन अधिकतम 7 घंटे उपस्थित सुनिश्चित करें।

12.7 अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय का भुगतान वित्त विभाग की अनुमति उपरान्त पूर्ववत नियमित योजना में वेतन भत्ते मद में किया जावेगा ।

12.8 आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अधिकार आयुक्त, उच्च ि ाक्षा को होगा।

12.9 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लिये जाने का अंतिम अधिकार सचिव, उच्च शिक्षा अथवा आयुक्त, उच्च ि ाक्षा को होगा।

(डॉ.एच.पी. खैरवार)	(डॉ. किरण गजपाल,)	(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह यादव,)	(एन.पी.सिदार)
संयोजक/अपर संचालक	प्राचार्य,	सहा. प्राध्या.–समाजशास्त्र	सहायक संचालक वित्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,	शासकीय दू.ब. महिला	शासकीय मिनीमाता कन्या	उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर	स्नातकोत्तर महाविद्यालय,	महाविद्यालय बलौदाबाजार	नवा रायपुर अटल नगर
(छ.ग.)	रायपुर (छ.ग.)	(छ.ग.)	(छ.ग.)

//अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन का प्रारुप //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक / /आउशि/राज स्था/..... नवा रायपुर दिनांक .....एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ..... नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ..... के अनुसार (संस्थान का नाम.....) में विशय.....में अध्यापन कार्य करने हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक .....को सायं ..... बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

योग्यता :–

1. संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप वांछित है।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आद र्ा महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम भौक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव हो तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर विशय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर सक्षमता एवं दक्षता संबंधी अनु ांसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद का विवरण				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी

टीप :– संबंधित विशयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

01. आवेदन के साथ 10वीं, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एमफिल/पी.एचडी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक ..... तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ईमेल/ऑनलाईन आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम चयन सूची का प्रका ान तिथि .....को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि ..... तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रका ान दिनांक ..... को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अतिथि व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आ ाय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही किसी अन्य शासकीय/अर्द्ध ाासकीय सेवा में नहीं है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित चयनित आवेदक यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. प्रति व्याख्यान ...../– रू (अधिकतम ..... प्रतिदिन) की दर से मानदेय होगा। जो प्रतिमाह ..... से अधिक नहीं होगा।
11. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, ... एवं आवेदित विषय आव यक रुप से लिखे।
12. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं माने जाएँगे।
13. संस्थान में कार्यरत अतिथि व्याख्याता यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. अतिथि व्याख्याता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त प्र ाासकीय कार्य एवं भौक्षणेत्तर गतिविधियों यथा प्रवे ा, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में अतिथि व्याख्याता सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के भौक्षणिक सत्र में अतिथि व्याख्याता के अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य ि ाकायतें प्राप्त होती है तो उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी भौक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
जिला–.....